न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, अम्बेडकरनगर।

सत्र परीक्षण संख्या–183/2015

राज्य..................... बनाम.................राजेन्द्र प्रसाद सिंह

मुकदमा अपराध संख्या–92/2009,
धारा–147,148,149,307,323,325,504,506 भा०दं०सं०,
थाना –अकबरपुर
जनपद– अम्बेडकर नगर।

03.07.2026

1. पत्रावली पेश हुई। आज अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 के निस्तारण पर बल दिया गया।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 अभियोजन पक्ष द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद उपरोक्त में साक्षी डॉ0 वी0एन0 तिवारी चिकित्साधिकारी पी0एच0सी0 अकबरपुर अम्बेडकरनगर की मृत्यु हो गयी है। उनके द्वारा चोटहिल संजय सिंह का मेडिकल परीक्षण दिनांक 30.04.2009 को किया गया है जिसे साबित करने हेतु दिनांक 30.04.2009 का मेडिकल रजिस्टर सहित फर्मासिस्ट संयुक्त चिकित्सालय (सी.एच.सी.) अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर को तलब किया जाना आवश्यक है। अतः फर्मासिस्ट संयुक्त चिकित्सालय (सी.एच.सी.) अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर को दिनांक 30.04.2009 के रजिस्टर सहित साक्ष्य हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है।

3. अभियुक्त पक्ष की ओर से कोई आपत्ति उक्त प्रार्थना पत्र पर नही की गयी है।

4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चोटहिल संजय सिंह का मेडिकल परीक्षण दिनांक 30.04.2009 को किया गया है जिसे साबित करने हेतु दिनांक 30.04.2009 का मेडिकल रजिस्टर सहित फर्मासिस्ट संयुक्त चिकित्सालय (सी.एच.सी.) अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर को तलब किये जाने की याचना की गयी है। साक्षी डॉ0 वी0एन0 तिवारी चिकित्साधिकारी पी0एच0सी0 अकबरपुर अम्बेडकरनगर की मृत्यु हो गयी है। उनके द्वारा चोटहिल संजय सिंह का मेडिकल परीक्षण किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी को साक्ष्य अभिलिखित किये जाने हेतु तलब किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा वाद का निर्णयन गुण–दोष पर किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। फर्मासिस्ट संयुक्त चिकित्सालय (सी.एच.सी.) अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर दिनांक 30.04.2009 के रजिस्टर सहित जरिए सम्मन तलब हों। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांकः–18.07.2026 को पेश हो।

(चिन्ताराम)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–3
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 1767

दिनांकः 03.07.2026

Digitally signed by CHINTA RAM
Date: 2026.07.03 16:34:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court